खास खबरें

25 वर्षीय युवक के अपहरण का मामला दर्ज

नप्र, भोपालः ईटखेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरी से 25 वर्षीय युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। फरियादी मुकुल पाण्डेय पिता दिनेश पाण्डेय (28) की शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 306/26 में धारा 140(3) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ चंचल पाण्डेय (25) के अपहरण का मामला दर्ज किया है। पुलिस युवक की तलाश कर रही है।

तेज रफ्तार कार की टक्कर, चालक पर केस दर्ज

मिसरोद थाना क्षेत्र के निखिल होम्स तिराहे पर तेज एवं लापरवाही से कार चलाने के कारण दुर्घटना हो गई। फरियादी ज्योति मीणा पिता राजीव मीणा (33) की शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 482/26 में धारा 281 बीएनएस के तहत कार क्रमांक एमपी-04-सीएच-1641 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

पिपलानी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिनेश सोनकर पिता राममणि सोनकर (36) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 9,600 रुपये कीमत की आठ बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 734/26 में धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बिना बताए घर से निकले 58 वर्षीय व्यक्ति की गुमशुदगी

अयोध्यानगर थाना क्षेत्र में कान्ता प्रसाद पिता बिहारीलाल (58) के लापता होने का मामला दर्ज किया गया है। फरियादी रविश राय ने पुलिस को बताया कि कान्ता प्रसाद बिना किसी को बताए घर से निकल गए और वापस नहीं लौटे। पुलिस ने गुम इंसान क्रमांक 71/26 दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

रिजर्व बैंक शाखा में छह संदिग्ध नोट जमा, पुलिस जांच में जुटी

भोपाल। एमपी नगर स्थित भारतीय रिजर्व बैंक शाखा में 100-100 रुपये के छह संदिग्ध नोट जमा होने का मामला सामने आया है। शाखा प्रबंधक गौरव सोहागोरा पिता दिनेश त्रिपाठी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 290/26 में धारा 178 एवं 182ए बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस नोट जमा कराने वाले व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है।

यूपीआई से 37 हजार रुपये की साइबर ठगी

भोपाल। कोहेफिजा थाना क्षेत्र निवासी प्रकाश चंद्र जैन पिता नन्हूमल जैन (75) साइबर ठगी का शिकार हो गए। शिकायत के अनुसार अज्ञात आरोपी ने यूपीआई के माध्यम से उनके खाते से 37,070 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने अपराध क्रमांक 529/26 में धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर साइबर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

क्रांति गौड़ ने बढ़ाया प्रदेश और देश का मान, मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल अधोसंरचना, प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 'खेलो बढ़ो अभियान' के तहत प्रदेशभर में सांसद कप और विधायक कप जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनसे नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित संवाद भवन में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सुश्री क्रांति गौड़ के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियां किसी से कम नहीं हैं और क्रांति गौड़ ने अपनी प्रतिभा के दम पर देश-दुनिया में मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने क्रांति गौड़, उनके पिता नरसिंह और भाई महेंद्र सिंह का सम्मान किया। लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित टेस्ट ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर बनीं क्रांति गौड़ को खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से तीन लाख रुपये की सम्मान राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से भी दो लाख रुपये का चेक भेंट कर उन्हें कुल पांच लाख रुपये से सम्मानित किया। उन्होंने लॉर्ड्स मैदान पर सात विकेट लेकर किए गए उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की। क्रांति गौड़ ने युवा खिलाड़ियों से संवाद करते हुए कहा कि टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहनना उनका बचपन का सपना था। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद परिवार के सहयोग और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचाया। उन्होंने युवाओं से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, खेल सचिव संजीव सिंह, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक अंशुमान सिंह यादव सहित विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे।

विस का पांच दिनी सत्र तीन दिन में सिमटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र तीसरे दिन ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। अंतिम दिन दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पारित हुआ और सरकार-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र तीसरे दिन बुधवार को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। दूसरे दिन आठ और तीसरे दिन छह विधेयकों के पारित होने के बाद वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 7,765.06 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बाद सदन ने अनुपूरक बजट पारित कर दिया। बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन, बढ़ते कर्ज और विकास कार्यों में सुस्ती के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायकों को विकास निधि तक पूरी नहीं मिल रही है, जबकि सरकार बार-बार अनुपूरक बजट लेकर आ रही है। उन्होंने नर्मदा घाटी परियोजनाओं, किसानों के लिए कम बजट, बढ़ते कर्ज, परिवहन टोल में कथित भ्रष्टाचार, युवाओं के लिए कम बजटीय प्रावधान और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा।

छोटे सत्र को लेकर सीएम ने हनुमानजी की छलांग का जिक्र किया: जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सत्र छोटा होने का अर्थ यह नहीं कि काम कम हुआ है। उन्होंने हनुमानजी की लंबी छलांग का उदाहरण देते हुए कहा कि कम समय में भी बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं खरीदी हुई है, वर्षों से लंबित नदी परियोजनाओं को गति मिली है और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत है। कार्यवाही के दौरान नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना भी दी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

संत नगर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने पंचायत ने सौंपा एमआईसी सदस्य को ज्ञापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः उपनगर के मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग सिंधी पंचायत ने नगर निगम से की है। पंचायत अध्यक्ष माधु चांदवानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम जोन कार्यालय पहुंचकर एमआईसी सदस्य व पार्षद राजेश हिंगोरानी, पार्षद अशोक मारण और जोनल अधिकारी नीरज राय को ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि शहर के मुख्य मार्गों पर ठेले वालों और व्यापारियों का अवैध कब्जा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चलने से सड़कें पहले ही संकरी हो चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक रोड पर अवैध रूप से उप-सब्जी मंडी बना दी गई है। इसके अलावा चंचल रोड, आरा मशीन रोड और इलाहाबाद बैंक रोड पर भी ठेले वालों के कब्जे के कारण लोगों का आना-जाना दूभर हो गया है।

अतिक्रमण के साथ-साथ आए दिन ठेले व्यवसायियों द्वारा नगरवासियों के साथ दुर्व्यवहार और गाली-गलौज किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा विवाद या हादसा हो सकता है। पंचायत ने इन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सड़कों से तत्काल अतिक्रमण हटाने की पुरजोर मांग की है। इस प्रतिनिधिमंडल में पंचायत अध्यक्ष माधु चांदवानी के साथ महासचिव राजकुमार वाधवानी, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश रीझवानी, भरत आसवानी व गुलाब जेठानी, सचिव व माधव पारदासानी और ऑडिटर पुरुषोत्तम हरचंदानी विशेष रूप से शामिल रहे।

कटारा हिल्स पुलिस का नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार स्मैक और गांजा बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कटारा हिल्स थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में स्मैक और गांजा जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक मामले में स्मैक के सप्लायरों की तलाश भी तेज कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुनील दुबे के नेतृत्व में गठित टीम ने 19 जुलाई 2026 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम झागरिया में घेराबंदी कर अजय अहिरवार को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 4.37 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर बरामद किया गया। जब्त स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 45 हजार रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मामले में स्मैक सप्लाई करने वाले तौहीद खान और अनुज साहू की तलाश जारी है। वहीं, दूसरी कार्रवाई में 22 जुलाई 2026 को ग्राम बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जितेन्द्र पटेल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 150 ग्राम गांजा बरामद किया।

स्वर्णकार श्रेष्ठ फाउंडेशन द्वारा 26 को इंदौर में सम्मान समारोह एवं परिचय सम्मेलन

आईपीएस मनीषा सोनी एवं सव्य साँची सर्राफ, डिप्टी कमिश्नर विशाल सोनी सहित 6 अधिकारी होंगे सम्मानित

स्वर्णकार श्रेष्ठ फाउंडेशन का मोबाइल एप्प भी होगा लांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः स्वर्णकार श्रेष्ठ फाउंडेशन द्वारा 26 जुलाई को मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के सायजी होटल में देश भर से शामिल हो रहे सोनी समाज के शासकीय अधिकारियों का परिचय सम्मलेन आयोजित किया गया है। इस अवसर पर हाल ही में पदोन्नत होकर वरिष्ठ पदों पर पहुँचे केंद्र एवं राज्यों के सोनी समाज के शासकीय अधिकारियों का सम्मान भी किया जायेगा।

स्वर्णकार श्रेष्ठ फाउंडेशन के फाउंडर जयप्रकाश सोनी ने बताया कि स्वर्णकार समाज को एकजुट करने, सामाजिक समन्वय को बढ़ावा देने तथा आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से समाज के प्रत्येक सदस्य को एक मंच पर जोड़ने के उद्देश्य से स्वर्णकार श्रेष्ठ फाउंडेशन द्वारा विकसित स्वर्णकार श्रेष्ठ फाउंडेशन मोबाइल ऐप 'सबका साथ सबका विकास' का लोकार्पण भी किया जायेगा। यह ऐप समाज के सदस्यों को एक डिजिटल मंच प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से समाज की विभिन्न गतिविधियों, सामाजिक सूचनाओं, आयोजनों, व्यवसायिक नेटवर्किंग, वैवाहिक परिचय, सदस्य निर्देशिका, युवा एवं महिला मंच तथा अन्य उपयोगी सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकेगा।

जिसमें देश भर के सभी सोनी समाज के अधिकारीयों के मोबाइल नम्बर और पदस्थापना होंगी साथ ही समाज के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कालरशिप देने शासकीय सेवाओं के लिए निकलने बाले जॉव सम्बन्धी सूचनाएँ बिभिन्न कार्यक्रम की सूचनाएं समाज के बिभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यक्रम करने बालों की सक्सेस स्टोरी सहित विभिन्न जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। श्री सोनी ने बताया कि स्नेह मिलन समारोह का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाकर आपसी भाईचारा, सहयोग एवं संगठन की भावना को और अधिक सशक्त करना है।

कार्यक्रम के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान भी किया जाएगा तथा समाज के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श होगा।

स्वर्णकार श्रेष्ठ फाउंडेशन ने समाज के सभी वरिष्ठजनों, युवाओं, महिलाओं एवं गणमान्य नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं तथा समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदौर की भाजपा विधायक मालिनी गोड सोनी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चंचल शेखर भाजपा प्रदेश महामंत्री संगीता सोनी स्वर्ण कला बोर्ड मध्यप्रदेश के पूर्व अध्यक्ष दुर्गेश सोनी तथा मोबाइल ऐप के फाउंडर जयप्रकाश सोनी रहेंगे।

श्री सोनी ने बताया की इस अवसर पर सोनी समाज के गौरव आईपीएस मनीषा सोनी आईपीएस सव्य साँची सर्राफ डीएसपी मध्यप्रदेश पुलिस तारेश सोनी डीएसपी मध्यप्रदेश पुलिस गायत्री सोनी डिप्टी कमिश्नर मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विशाल सोनी एवं वित्त बिभाग के एडीशनल डायरेक्टरआर के सोनी को सम्मानित किया जायेगा। कार्यक्रम इंदौर के सायजी होटल में सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित किया गया है। साथ ही स्नेह भोज भी रखा गया है।

श्री झूलेलाल चालीहाः अखो, आरती, पल्लव और अरदास

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः एच-वार्ड के झूलेलाल मंदिर में श्री झूलेलाल चालीहा साहिब पर्व का छठवां दिन श्रद्धा के साथ मनाया गया। भगवान श्री झूलेलाल जी के बहिराणा साहिब में अखो, आरती, पल्लव और अरदास की गई।

इस मौके पर कार्यक्रम में बर्तन एसोसिएशन के पदाधिकारी नारी तोलानी, भगवान तेजवानी, राम कुमार चोटवानी, संस्कार स्कूल के सचिव बसंत चेलानी, पूर्व मण्डल अध्यक्ष कमल वीधानी, महिला पंचायत अध्यक्ष वाधवानी एवं मीना जगवानी सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने झूलेलालजी की पूजा अर्चना की। श्रीमती वाधवानी एवं तेजवानी ने कहा कि वर्तमान में समाज और युवाओं में अपने इष्टदेव के प्रति आस्था और भक्तिभाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि

अपने परिवार के छोटे बच्चों को मंदिर लाकर उन्हें इष्टदेव की स्तुति और पूजा-अर्चना की विधि सिखाना अत्यंत आवश्यक है

मुख्यमंत्री आज बलराम कृषि महोत्सव में होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः कृषक कल्याण वर्ष-2026 के तहत आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 जुलाई को आलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर पहुंचेंगे।

यहां वे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर उनकी जन्मस्थली आजाद कुटिया में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद कृषि उपज मंडी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर किसानों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों, मेधावी विद्यार्थियों तथा विभिन्न क्षेत्रों के सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स से भी चर्चा करेंगे। कृषि क्षेत्र में नवाचार, आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती, जनजातीय संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और कृषि अभियांत्रिकी विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जिले को 340 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें लगभग 287.32 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का भूमिपूजन तथा करीब 53.55 करोड़ रुपये के पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

मंदिर के बाहर से बाइक चोरी

नप्र, भोपालः कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़े महादेव मंदिर के पास खड़ी बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। फरियादी नरेश श्रीवास्तव की शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 187/26 में धारा 303(2) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार उनकी हीरो मोटरसाइकल क्रमांक एमपी-04-जेडएम-7654, जिसकी कीमत करीब 20 हजार रुपये है, अज्ञात चोर चुरा ले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।

NAME OF CHANGE

I, Jayanti Pandey Mother of no. - 14664144X HAV - Niraj Pandey. UNIT ADD. 78 Fd Regt, AT GRAM - Barhana, POST - Bamhuri TEH - Raguraj Nagar, DIST - Satna, STATE. Madhya Pradesh, PIN - 485221. Have changed my name from Jayanti Devi to Jayanti Pandey. vide Affidavit no -1745/2026. dt-13/07/2026

1041

NAME OF CHANGE

I, Nisha shukla wife of no. - 14664144X HAV-Niraj Pandey. UNIT ADD. 78 Fd Regt AT GRAM - Barhana, POST - Bamhuri, TEH - Raguraj Nagar, DIST - Satna, STATE. Madhya Pradesh, PIN - 485221. Have changed my name from Nisha Shukla to Nisha Pandey. vide Affidavit no. -1114/2026. dt. 06/05/2026

1042

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण कमांक....2301/अ-6/2026-2027

मौजा- भौरी तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका बबिता पाण्डेय पत्नी श्री संजय कुमार पाण्डेय निवासी मकान न. 220 डी के 4 दानिश कुंज दामखेड़ा तहसील कोलार भोपाल म.प्र. ने म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक एमपी 43 आईजीआर 16022026 ए 100424613 दिनांक 02.04.2026 एंव लिंक विक्रय पत्र दस्तावेज 8/5989 दिनांक 26.02.2011 के आधार पर पत्र की गई भूमि खसरा क्रमांक 84/1/3/2, 84/1/4, 86/2 कुल रकबा मे से 173.85 वर्गमीटर भूमि स्थित ग्राम भौरी, प.ह.न. 53 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। 2. उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 06.08.2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 21.07.2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर भोपाल

1039

नाम परिवर्तन सूचना

शादी से पूर्व मेरा नाम Sunita Caellani D/O Sundar Das Caellani था शादी के बाद मेरा नाम बदलकर नया नाम Bhanu Tejwani W/O Manohar Lal Tejwani निवासी फ्लैट नं. एस-01, ज्वेल लग्जरी, प्लॉट नं. एस-08, विजय नगर लालघाटी भोपाल (मध्य प्रदेश) हो गया है अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए।

1040

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा पूर्व में नाम Chirag Manoharlal Tejwani S/O Manoharlal Tejwani था जो अब वर्तमान में बदलकर नया नाम Chirag Tejwani S/O Manohar Lal Tejwani निवासी फ्लैट नं. एस-01, ज्वेल लग्जरी, प्लॉट नं. एस-08, विजय नगर लालघाटी भोपाल (मध्य प्रदेश) हो गया है अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए।

1038

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

कृषि उपज मण्डी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जिला रायसेन में भूखण्ड/भवन क्रमांक ई.डब्ल्यू.एस. 63 मण्डल द्वारा श्री राजेश गुप्ता आत्मज श्री एस.के. गुप्ता के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका पट्टा विलेख दिनांक 18/05/2023 को उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज जिला रायसेन से पंजीकृत है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ-पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्री राकेश चौधरी आत्मज श्री हक्कूलाल के नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज जिला रायसेन द्वारा उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 29/05/2026 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त संपत्ति श्री राकेश चौधरी आत्मज श्री हक्कूलाल के नाम पर हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/ या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

1037

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे पक्षकार ने श्री कमल कुमार सिंह आयु व्यस्क आत्मज श्री प्रेम कुमार सिंह, निवासी तेज 01 सनसिटी एयरपार्ट मार्ग बालघाटी भोपाल म.प्र.। से उनके स्वत्य, स्वामित्व की एक किता कृषि भूमि का फार्म लेण्ड प्लाट नं.-12 स्थित खसरा क्र.- 528/1(5) रकबा 0.4970 हेक्टेयर ग्राम रातीबढ, पटवारी हल्का नं.5 भू-भाग 16 राजस्व निरीक्षक मण्डल 01, तहसील व ब्लॉक फंदा, जिला भोपाल, (म.प्र.) में स्थित है, जिसकी सीमाएं पूर्व में इसी खसरे की शेष भूमि, पश्चिम में प्रस्तावित रास्ता, उत्तर में इसी खसरे की शेष भूमि, दक्षिण मे: इसी खसरे की शेष भूमि, जिसके श्री कमल कुमार सिंह आत्मज श्री प्रेम कुमार सिंह मालिक व काबिज है, यह उक्त समपति को विक्रय कर रहे है और मेरे पक्षकार से बयाना राशि प्राप्त कर ली है, यदि उक्त विक्रय में किसी भी व्यक्ति, सस्था, बैंक, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालय आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो यह सूचना प्रकाशन के (7) सात दिवस के अन्दर मय प्रमाणित सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी प्रकार का कोई दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी और मेरे पक्षकार उक्त सम्पति की सम्पूर्ण राशि को अदा करके विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे ।

परवेज खान,अधिवक्ता
ऑफिस-जी-1, जी. के. कॉम्प्लेक्स, 77, सेक्टर-सी, इंद्रपुरी, भोपाल (म. प्र.)
मोबाईल नंबर 9691628598

1036

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
सीआरआर/225/2025
रामचरण बनाम रामकृष्ण
नियत दिनांक : 25/08/26

प्रेषिती, यह कि प्रार्थी रामचरण कुशवाह ने आपके विरूद्ध सीआरआर/225/2025 के लिये पुर्नरिक्षण (Rivision) संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर पुर्नरिक्षण (Rivision) का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस पुर्नरिक्षण (Rivision) में संबंधित सभी सारखान कथनों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा आधारित हो और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई नियत दिनांक में इस न्यायालय में उपस्थित नही होंगे तो पुर्नरिक्षण (Rivision) की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

सचिन जैन, न्यायाधीश
तेईसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

1035

कार्यालय राजस्व निरीक्षक नजूल वृत्त एम. पी. नगर जिला भोपाल

क्र./सीमांकन/2026/ भोपाल

दिनांक 17/07/2026

सूचना पत्र

प्रति,1. श्री आर. के. महाजन 93031067221, **2.** श्री जसवंत सिंह 9893543631, **3.** श्री जगन्नाथ यादव 9926966261 न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त एम. पी. नगर जिला भोपाल के आदेशानुसार आवेदक श्री कमलिना एब्रिया उर्फ अलमिना निवासी भोपाल की ग्राम खजूरीकलां प.ह.नं. में स्थित भूमि खसरा नं. 201/1/1 रकबा 0.195 हे. के सीमांकन की कार्यवाही हेतु दिनांक 24/07/26 नियत की गई है। आप सर्व संबंधित/विक्रेता/पडौसी कृषक मौके पर भूमि से संबंधित दस्तावेज लेकर उपस्थित रहें। भू-खण्ड विक्रेता स्वयं स्थिती स्पष्ट करने हेतु मौके पर उपस्थित रहे। आवेदक सीमांकन हेतु आवश्यक झण्डीयां, बांस, मौके पर उपलब्ध करावे। कार्यवाही राजस्व निरीक्षक/संबधित हल्का पटवारी/ गठित टीम व्दारा किया जायेंगा। सूचना-पत्र तामिली के हस्ताक्षर कर सूचित होवें। सूचना तामिली बाद अनुपस्थिती की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी। पटवारी हल्का नं. यह सूचना पत्र कोटवार के माध्यम से तामिल करवाकर वापिस करें। एवं नियत दिनांक 24/07/26 को अभिलेख एवं बन्दोबस्ती नक्शा शीट साथ लेकर कोटवार सहित उपस्थित रहकर सीमांकन आदेश का पालन सुनिश्चित करें। विशेष परिस्थितियो में सीमांकन तारीख में बदलाव किया जा सकता है ।

राजस्व निरीक्षक
नजूल वृत्त एम.पी. नगर जिला भोपाल

1034

नाम परिवर्तन सूचना

नाम एवं जन्मतिथि परिवर्तन मैं, शकुन्तला सिंह, पत्नी नं. 203346-A CHEL(P), समर बहादुर सिंह, निवासी 49, शुभालय विहार, रोहित नगर फेज-II, बावड़िया कलां, भोपाल-462039, शपथपत्र दिनांक 21.07.2026 के माध्यम से अपना नाम शकुन्तला देवी से शकुन्तला सिंह तथा जन्मतिथि 01.06. 1962 से 01.06.1964 कर चुकी हूँ।

1043

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा नाम पूर्व में बनी पासपोर्ट के अनुसार NAIEM KHAN से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित NAIM KHAN S/O ABDULLA KHAN हो गया है। अब मुझे मेरे नए एवं पूरे नाम NAIM KHAN से जाना एवं पहचाना जाए। निवासी- फ्लेट नं.05, 05th फ्लोर, खुशी हाईट्स, राजा भोज कॉलोनी, अब्बास नगर गांधीनगर भोपाल 462036 (मध्य प्रदेश)

1033

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, मेट्रो प्लाजा, कामर्शियल काम्पलेक्स, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल में स्थित दुकान क्रमांक-15 ए (प्रथम तल) मण्डल द्वारा श्रीमती रमा शुक्ला पत्नी स्व. श्री प्रताप नारायण शुक्ला के नाम से आवंटित व नामांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक- 06/12/2004 को पंजीकृत है। श्रीमती रमा शुक्ला पत्नी स्व. श्री प्रताप नारायण शुक्ला द्वारा उक्त सम्पत्ति (1) सुश्री स्वर्णा टंडन पुत्री श्री शैलेन्द्र कुमार टंडन (2) श्रीमती रूपा टंडन पत्नी श्री शैलेन्द्र कुमार टंडन को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 17/07/2026 को पंजीकृत किया गया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति (1) सुश्री स्वर्णा टंडन पुत्री श्री शैलेन्द्र कुमार टंडन (2) श्रीमती रूपा टंडन पत्नी श्री शैलेन्द्र कुमार टंडन के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

1032